



सं

भारत सरकार, खान मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF MINES
भारतीय खान ब्यूरो, क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय- रायपुर
INDIAN BUREAU OF MINES, OFFICE OF REGIONAL CONTROLLER OF MINES,
RAIPUR



फोन- 2282530-0771 2285590/ / 95, ईमेल - ro.raipur@ibm.gov.in

CHG/BLD/FE-1/NGP/30MPR13002

दिनांक

06/04/2022

प्रेषित:

Shri P M Sirpurkar

झरनदल्ली एवं दल्ली यंत्रिकृत लौह अयस्क खदान, (719.60 हे०)

सर्वश्री स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया,

पो.-दल्ली राज़रा, जिला- बलौद, पिन-491228

Email: pshirpurkar@sail.in

विषय: छत्तीसगढ़ राज्य के बलौद जिले में स्थित आपकी, झरनदल्ली एवं दल्ली यंत्रिकृत लौह अयस्क खदान, क्षेत्रफल 719.60 हे. में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों का उल्लंघन के संबंध में।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 09.03.2021 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा **Shri P M Sirpurkar**, Genral Manager, झरनदल्ली एवं दल्ली यंत्रिकृत लौह अयस्क खदान की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है:-

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
Rule 11(1)	Modified Mining Plan approved vide No BLD/FE/MPLN-1229/2019-RPR dated 24/01/2020 for the period of 1/02/2020 to 31/03/2023. The deviation observed in mining operation vis-a-vis approved document are given below 1) As per approved Mining Plan, 35 boreholes were proposed to be drilled in the year 2020-21. No boreholes have been drilled so far.

इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। एवं इन नियमों के उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यवाही की जा सकती है :-

- क) खदान की सारी खनन संक्रियाएं बन्द की जा सकती हैं,
- (ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है, एवं
- (ग) खनन पट्टे को निरस्त किया जा सकता है।

3. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों 11(1) का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

Arun Kumar
Regional Controller of Mines
Indian Bureau of Mines, Raipur

प्रति: By Email

1. खान नियंत्रक (मध्यांचल), भारतीय खान ब्यूरो, नागपूर।
2. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, इन्द्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ।

Regional Controller of Mines
Indian Bureau of Mines, Raipur